

जलवाहक योजना

स्रोत: पी.आई.बी

हाल ही में केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री ने [अंतरदेशीय जलमार्ग](#) और माल ढुलाई को बढ़ावा देने के लिये 'जलवाहक' योजना शुरू की।

- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य अंतरदेशीय जलमार्गों की वाणज्यिक क्षमता का दोहन करना, **रसद लागत को कम करना** और **सड़कों और रेलमार्गों पर यातायात को आसान बनाना** है।
 - यह [राष्ट्रीय जलमार्ग \(NW\) 1](#) (गंगा), [2 \(बरहमपुत्र\)](#) और [16 \(बराक\)](#) पर लंबी दूरी की माल ढुलाई को प्रोत्साहित करता है।
- **प्रोत्साहन:**
 - [भारत-बांग्लादेश](#) प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से [राष्ट्रीय राजमार्ग 1, 2 और 16](#) पर कार्गो आवागमन के लिये परिचालन व्यय का **35% तक प्रतपूर्ति** प्रदान करता है।
 - यह [नजी ऑपरेटर्स के स्वामित्व वाले जहाजों को करियाे पर लेने](#) को प्रोत्साहित करता है, जिससे प्रतसिपर्द्धा और दक्षता को बढ़ावा मिलता है।
- **आर्थिक एवं पर्यावरणीय प्रभाव:**
 - इसका लक्ष्य **वर्ष 2027 तक 800 मिलियन टन किलोमीटर कार्गो** को शफिट करना है।
 - इसका लक्ष्य जलमार्गों के माध्यम से माल की आवाजाही को **132.89 मिलियन टन (2023-24) से बढ़ाकर वर्ष 2030 तक 200 मिलियन टन** और **वर्ष 2047 तक 500 मिलियन टन** करना है, जिससे [नीली अर्थव्यवस्था](#) और [आत्मनिर्भर भारत](#) पहल को समर्थन मिलेगा।
- **भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI):**
 - इसकी स्थापना **वर्ष 1986** में अंतरदेशीय जलमार्गों को वनियमति और वकिसति करने के लिये की गई थी।
 - भारत में नदियों, नहरों और बैकवाटर्स सहित **14,500 किलोमीटर** नौगम्य जलमार्ग हैं।
 - [राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016](#) के अंतर्गत 111 जलमार्गों (5 मौजूदा और 106 नए) को [राष्ट्रीय जलमार्ग](#) घोषित किया गया है।

और पढ़ें: [भारत का अंतरदेशीय जल परिवहन](#)